रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2000/चैत्र 24, 1922
No. 215] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2000/CHAITRA 24, 1922

LIBRARY

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2000

सा.का.नि. 333(अ).—मसाला उपकर अधिनियम, 1986 (1986 का 11) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार मसाला उपकर नियम, 1988 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को मसाला उपकर (संशोधन) नियम, 2000 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मसाला उपकर नियम, 1988 के नियम 3 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) प्रत्येक तिमाही की सांख्यिकीय सूचना संबंधित तिमाही के उत्तरवर्ती माह के 10वें दिन अथवा उससे पहले मसाला बोर्ड को फार्म में प्रस्तुत की जाएगी।"

[फा. सं. 4/31/98-इपी(एग्री-V)]

एस. एम. आचार्य, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 10 जून, 1988 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 696(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2000

G.S.R. 333 (E).—In exercise of powers conferred by section 5 of the Spices Cess Act, 1986 (11 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Spices Cess Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Spices Cess (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Spices Cess Rules, 1988, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The statistical information for every quarter shall be furnished in the form to the Spices Board on or before the 10th day of the succeeding month of the concerned quarter."

[F. No. 4/31/98-EP(Agri-V)]

S. M. ACHARYA, Jt. Secy.

Foot Note : The principal rules were published vide notification number G.S.R. 696(E), dated the 10th June, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
P by the Controller of Publications, Delhi-110054